**न्यायमूर्ति ए. एस. के समक्ष,**

**भरत सिंह,-अपीलकर्ता,**

**बनाम**

**हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी**

**1978 की आपराधिक अपील संख्या 278**

**30 नवंबर, 1979**

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908 का VI) धारा 5 - विस्फोटक पदार्थ (ग्रेनेड) का कब्ज़ा - यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि कब्ज़ा किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए था - केवल कब्ज़ा – कया अपराध हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस धारा के तहत आरोप को साबित करने के लिए दो चीजें साबित होनी चाहिए। पहला, यह कि विस्फोटक पदार्थ सचेत रूप से कब्जे में था और दूसरा यह कि यह कब्जा या नियंत्रण एक उचित संदेह को जन्म देने के लिए था कि अभियुक्त इसे वैध उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या उसके पास नहीं है। जहां अभियोजन पक्ष ने केवल यह साबित किया कि आरोपी ने अपने कब्जे में हथगोले रखे थे, लेकिन दूसरा घटक यह साबित करने के लिए साबित नहीं हुआ था कि वह उन्हें किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए रख रहा था, यह आरोपी को कोई उचित संदेह पर दोषी ठहराने में विफल रहा था। (पैरा 6)

अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले श्री ए.एन. अग्रवाल, सत्र न्यायाधीश, रोहतक के दिनांक 6 मार्च, 1978 के आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलकर्ता की ओर से वकील एस. सी. गोयल।

राज्य की ओर से अधिवक्ता आर.के. झिंगन।

**निर्णय**

**न्यायमूर्ति ए.एस. बैंस, (मौखिक) :**

(1) भरत सिंह अपीलकर्ता को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषी ठहराया गया और विद्वान सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है।

(2) रघबीर सिंह, ए.एस.आई., पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा सामने लाया गया अभियोजन मामला इस प्रकार है:-

(3) रघबीर सिंह, ए.एस.आई., एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन महम, कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ बस्ती राम, हेड कांस्टेबल और अन्य, राम फल, पी.डब्ल्यू. 3 और महा सिंह, पी.डब्लू. 4 अपीलार्थी के गांव गए। जब वे गांव भैणी सुरजन में अपीलकर्ता के घर के पास पहुंचे, तो एक व्यक्ति को भरत सिंह अपीलकर्ता के घर से बाहर आते देखा गया, जिसे रोक लिया गया और उसने अपना नाम भरत पुत्र सुंदु के रूप में बताया। अपीलकर्ता को पकड़ लिया गया और रघबीर सिंह, ए.एस.आई. द्वारा उससे पूछताछ की गई। उन्होंने प्रकटीकरण वक्तव्य दिया जो एगज. पीडी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आवासीय घर के उत्तरी-पूर्वी कोठा की दीवार में बीम के पास हथगोले से भरा एक डब्बा छिपाकर रखा था और उसे बरामद कराया जा सकता है। एक बयान दर्ज किया गया था जिसे राम फल, पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा प्रमाणित किया गया था और महा सिंह, पी.डब्लू. 4 अपीलकर्ता फिर पुलिस दल को छिपने की जगह पर ले गया और तीन हथगोले और तीन फ़्यूज़ बरामद किए, जिन्हें कब्जे में वाइड ई मेमो एगज. पी.ई लिया गया, - अपीलकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन महम में मामला दर्ज किया गया था। आपत्तिजनक सामग्री को उप विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरी सर्कल, आगरा को भेजा गया और एक रिपोर्ट पर यह पाया गया कि ये हथगोले थे। उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया।

(4) अपीलकर्ता की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जांच की गई और अपराध में उसकी संलिप्तता से इनकार किया गया और निर्दोष होने का अनुरोध किया गया। हालाँकि, उन्होंने बचाव में सात गवाह भी पेश किये।

(5) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ए.एस.आई. रघबीर सिंह, पी.डब्लू. 5, राम फल, पी.डब्लू. 3, महा सिंह, पी.डब्लू. 4 एवं श्री पी.एन.अग्निहोत्री, उप नियंत्रक विस्फोटक, पी.डब्ल्यू. 1 की गवाही पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री गोयल ने आग्रह किया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 की सामग्री वर्तमान मामले में साबित नहीं होती है क्योंकि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता के पास ये हथगोले थे, या वैध उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसके नियंत्रण में थे। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह था कि आपत्तिजनक सामग्री उसके पास पाई गई थी और उसकी निशानदेही पर उसके घर से बरामदगी की गई थी। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 निम्नलिखित शर्तों में है: -

"कोई भी व्यक्ति जो किसी विस्फोटक पदार्थ को ऐसी परिस्थितियों में बनाता है या जानबूझकर अपने कब्जे में रखता है या अपने नियंत्रण में रखता है, जिससे यह उचित संदेह पैदा हो कि वह इसे नहीं बना रहा है या यह उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में वैध वस्तु नहीं है, जब तक कि वह यह नहीं दिखा सके कि उसने इसे बनाया है या वैध वस्तु के लिए अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में रखा है, चौदह साल तक की अवधि के लिए परिवहन के साथ दंडनीय होगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है।"

(6) इस धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इस धारा के तहत आरोप को साबित करने के लिए दो बातें साबित होनी चाहिए। पहला यह कि विस्फोटक पदार्थ जानबूझकर कब्जे में था और दूसरा यह कि यह कब्जा या नियंत्रण इस तरह से था कि यह उचित संदेह पैदा कर सके कि वह इसे किसी वैध वस्तु के लिए नहीं बना रहा है या उसके पास नहीं है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने केवल यह साबित किया है कि वह अपने कब्जे में हथगोले रखता था, लेकिन दूसरा घटक यह साबित नहीं हुआ है कि वह इसे गैरकानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए रख रहा था। यहां तक कि ए.एस.आई. रघबीर सिंह, पी.डब्लू. 5 ने यह नहीं बताया है कि अपीलकर्ता इसे किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए रख रहा था। इसी तरह की परिस्थितियों में पटना उच्च न्यायालय ने **रजनी कांत मंडल बनाम बिहार राज्य** [1] में, **आर. बनाम हल्लम**[2] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले पर भरोसा करते हुए, निम्नानुसार देखा: -

"धारा 5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप को साबित करने के लिए, केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं है कि आरोपी के पास जानबूझकर विस्फोटक पदार्थ था। अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना है कि आपत्तिजनक वस्तुएं आरोपी के कब्जे से ऐसी परिस्थितियों में बरामद की गईं, जिससे यह उचित संदेह पैदा हुआ कि उसने उन्हें अपने कब्जे में किसी वैध वस्तु के लिए नहीं रखा था। अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है तो धारा 5 के तहत आरोप उसके खिलाफ टिकाऊ नहीं है।

इंग्लैण्ड के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1883 की धारा 4(1) के प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

"कोई भी व्यक्ति जो .....जानबूझकर अपने कब्ज़े में रखता है या उसके नियंत्रण में कोई भी विस्फोटक पदार्थ, ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित संदेह पैदा हो... कि उसके पास इस कब्ज़े में या नीचे नहीं है किसी वैध वस्तु पर उसका नियंत्रण होगा, जब तक कि वह दिखा न सके कि

[1] ए.आई.आर. 1959 पटना 314.
[2] (1957) 1 सभी ई.एल.आर. 665

वह.....उसके पास या उसके अधीन एक वैध उद्देश्य के लिए नहीं है, घोर अपराध का दोषी होगा .....”

(7) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5, उन्हीं शब्दों में समान सामग्री है।

(8) अन्यथा भी मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य विश्वास पैदा नहीं करते हैं। राम फल, पी.डब्लू. 3 पुलिस का एक स्टॉक गवाह है। जब उन्हें सुझाव दिया गया तो उन्होंने किसी भी मामले में उपस्थित होने से इनकार कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता ने पूर्व के दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा है। डीसी से डीजी को दिखाते हुए कि वह पांच मामलों में पुलिस गवाह के रूप में पेश हुआ था। ऐसे गवाह के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पी.डब्लू. 4 महा सिंह दूसरे गांव का गवाह है। ए.एस.आई. रघबीर सिंह, पी.डब्लू. 5 द्वारा कोई कारण नहीं दर्शाया गया है कि उसने अपीलकर्ता के गांव के किसी भी गवाह को क्यों शामिल नहीं किया।

(9) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, मेरा विचार है कि अभियोजन किसी भी उचित संदेह से परे अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में विफल रहा है। उनकी अपील स्वीकार की जाती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया है। वह जमानत पर है, उसके जमानत बांड उन्मोचित किए जाए ।

एन. के. एस.

**अस्वीकरण** : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

**हार्दिक सचदेवा**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**पोस्टिंग का स्थान: भिवानी**